भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *49**

जिसका उत्तर 05 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

16 माघ, 1941 (शक)

## आधार डाटा का दुरूपयोग

***49. श्री अरविंद धर्मापुरी**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक कल्याण योजना में आधार से संबंधित व्याप्त धोखाधड़ी कीओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) आधार डाटा के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)**

**(क) से (घ) :** एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

**आधार डाटा का दुरूपयोग के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *49 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र**

**********

**(क)** : तेलंगाना सरकार द्वारा यह रिपोर्ट किया गया है कि तेलंगाना सरकार की कल्याण लक्ष्मी/शादी मुबारक योजना में अनियंत्रित आधार धोखाधड़ी के विषय में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है।

**(ख) और (ग)** : उपरोक्त (क) के आलोक में ये प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

**(घ)** : आधार डेटा की सुरक्षा के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अच्छी प्रकार से डिजाइन की गई बहुपरतीय सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली है तथा इसका सतत रूप से दर्जा बढ़ाया जा रहा है ताकि डेटा सुरक्षा और सत्यनिष्ठा के उच्चतम स्तर को कायम रखा जा सके। आधार पारिप्रणाली की वास्तुकला का डिजाइन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है जो आरंभिक डिजाइन से लेकर अंतिम चरण तक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

विभिन्न नीतियां और कार्य नीतियां निर्धारित की गई हैं और इनकी सतत रूप से समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है इस प्रकार यूआईडीएआई परिसर के अंदर और बाहर लोगों, सामग्री और डेटा, विशेष रूप से डेटा केंद्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर समुचित रूप से नियंत्रण और निगरानी रखी जाती है । यूआईडीएआई का डेटा प्रत्येक समय पूर्णतया सुरक्षित/एनक्रिप्टिड है, अर्थात स्थिर अवस्था, पारगमन और भंडारण में सुरक्षित है। डेटा की सुरक्षा और निजता को अधिक सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। आधार अधिनियम, 2016 (वित्तीय एवं अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) और बाद में आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिनियमित होने, जिसमें अपराधियों के लिए कठोर शास्ति/दंड का प्रावधान है से आधार पारिप्रणाली की सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है।

यूआईडीएआई को सूचना सुरक्षा की दृष्टि से आईएसओ 27001:2013 से प्रमाणित घोषित किया गया है जिसमें आईटी सुरक्षा की स्थिति में एक अन्य परत शामिल हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 की उपधारा (I) के अनुसरण में यूआईडीएआई को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र द्वारा एक संरक्षित प्रणाली के रूप में भी घोषित किया गया है।

******